परिपत्र सं. 1029/17/2016-सीएक्स

फा.सं. 267/33/2014-सीएक्स-8

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त - केन्द्रीय उत्पादशुल्क(सभी)
प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त - केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर(सभी)
वेबमास्टर

विषय : हनी ग्रेड पीतल स्क्रैप से अशुद्धियों, जैसे- लोहा, स्टील, रबर, प्लास्टिक, धूल आदि के अलगाव पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आयातित हनी ग्रेड पीतल स्क्रैप से "आदानों को ज्यों का त्यों" के रूप में अलग किए गए असंगत माल की निकासी से संबंधित प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता के बारे में पीतल उत्पादों के निर्माण में शामिल व्यापार के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त आयातित स्क्रैप में मुख्य रूप से पीतल धातु शामिल है, लेकिन इसमें अशुद्धियां जैसे लोहा, इस्पात, रबर, प्लास्टिक, धूल आदि भी हैं, जो अभिन्न रूप से मुख्य सामग्री/ पीतल स्क्रैप से जुड़ा हुआ होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भट्ठी में परिणामी पीतल स्क्रैप सम्भरण से पहले, हनी ग्रेड पीतल से जुड़े स्क्रैप उक्त् असंगत माल (अशुद्धि) को हाथ से अलग कर लिया जाता है और तब इस तरह अलग की गई सामग्री को तोड़ने, काटने आदि जैसी आगे की प्रक्रिया के लिए जारी किया जाता है जिसमें स्क्रैप के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है ताकि इसे भट्ठी में भरा जा सके। अंततोगत्वा पीतल स्क्रैप भट्ठी में भरा जाता है जहां पीतल पिघलता है, लेकिन इस्पात, लोहा आदि जैसी सामग्री नहीं पिघलती क्योंकि उनका गलन बिंदु अधिक है। पिघला हुआ पीतल उत्पादन के लिए डाला जाता है जबकि लोहा, स्टील, लावा के अपशिष्ट को अलग से निकाला एवं बेचा जाता है। ऐसी ढलाई से उत्पन्न अपशिष्ट अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रक्रियागत अपशिष्ट है।

2. तथापि, इसमें अपशिष्ट अर्थात प्रारम्भ में अलग किया गया किंतु भट्ठी में नहीं डाला गया असंगत सामान का एक और वर्ग है। मुद्दा यह है कि जब इस तरह की अलग की गई असंगत सामग्री को पीतल उत्पादकों द्वारा निकास किया है तो इसे "आदानों को ज्यों का त्यों" की निकासी के रूप में माना जाए और तदनुसार उत्पादकों द्वारा सैनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) के अनुसार इस तरह के आदानों के संबंध में उठाए गए क्रेडिट के बराबर भुगतान किया जाए (या नहीं)।

3. मुद्दे की जांच की गई है। भट्ठी में पिघलने की प्रक्रिया से पूर्व अन्य असंगत सामग्री को निष्कासित करने के क्रम में हनी ग्रेड पीतल स्क्रैप से पृथक्करण पीतल सामान के उत्पादन संबंधी एक आवश्यक प्रक्रिया है। पृथक्करण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला असंगत सामान को प्रक्रियागत अपशिष्ट के रूप में माना जाता है और इसे इस तरह के रूप में आदानों को हटाने की तरह नहीं माना जा सकता। अलग की गई असंगत सामग्री की पीतल स्क्रैप की तुलना में पूरी तरह एक अलग विशेषता और उपयोग है। अलग की गई असंगत सामग्री का प्रति यूनिट मूल्य और वर्गीकरण भी आयातित पीतल स्क्रैप से अलग है। तदनुसार, असंगत सामग्री जैसे लोहा, स्टील, रबर, प्लास्टिक, धूल आदि के रूप में निकासी को उसी रूप में आदानों की निकासी के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह नोट किया जाए कि परिपत्र सं0. 62/2001-सीमा. दिनांक 12.11.2001 प्रस्तुत मुद्दे पर लागू नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत मुद्दे के तथ्य भिन्न हैं।

4. उपर्युक्त के मद्देनज़र, यह स्पष्ट किया जाता है कि भट्ठी में सम्भरण से पूर्व हनी ग्रेड पीतल स्क्रैप से अलग की गई असंगत सामग्री अर्थात् लोहा, स्टील, रबर, प्लास्टिक, धूल आदि की निकासी को सेनवैट क्रैडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 (5) के अंतर्गत यथा परिकल्पित "आदानों को ज्यों का त्यों'' के रूप में को निष्कासित करने के रूप में माना नहीं जा सकता। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, ऐसी दशा में अलग की गई असंगत सामग्री को गुणदोष पर निर्धारित इसके यथोचित वर्गीकरण और शुल्क-दर के अनुसार संव्यवहार मूल्य पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क की अदायगी पर निकासी दी जाएगी ।

5. परिपत्र के कार्यान्वयन में, सामने आने वाली परेशानियां, यदि कोई हो, तो उसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

10.5.16

(रोहन)

अवर सचिव, भारत सरकार